

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
जिला-कोंडागांव (छ.ग.)

क्रमांक/मा.चि./.....219
प्रति,

कोंडागांव, दिनांक : 22/02/2019

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

विषय:- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Kendriya Vidhyalaya area - 4.00 ha. - regardig.**
- आनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/SCH/32243/2018.

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर-9, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-735/53, दिनांक 05/01/2019 एवं आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 26/2019/310, दिनांक 16/01/2019.

निवेदन है, कि प्रकरण में केन्द्रीय विद्यालय हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी-794 में से 4.00 हेक्टेयर के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के अतिरिक्त जानकारी आवेदनकर्ता, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोंडागांव (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/580/जि.शि.अ./केन्द्रीय विद्यालय/2019, दिनांक 19/02/2019 द्वारा निम्न बिन्दुवार प्राप्त कर इस ज्ञापन के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

1. उक्त प्रस्ताव में कलेक्टर, जिला कोण्डागांव (छ.ग.) का केन्द्रीय विद्यालय हेतु गैर वन भूमि की अनुपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न है।

2. प्रकरण में तीन विकल्पों का तुलनात्मक विवरण मानचित्र में दर्शाकर विवरण संलग्न है।

कृपया प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति जारी करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक/मा.चि./.....320

प्रतिलिपि :

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर-9, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
02. कलेक्टर, कोंडागांव, जिला-कोंडागांव (छ.ग.) को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
03. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोंडागांव (छ.ग.) की ओर उनके पत्र क्रमांक/580, दिनांक 19/02/2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है। वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।
04. उपवनमंडलाधिकारी, पूर्व कोंडागांव उपवनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।
05. वन परिक्षेत्र अधिकारी, दहीकोंगा परिक्षेत्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
B³ कोंडागांव

कोंडागांव, दिनांक 22/02/2019

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
B³ कोंडागांव

ok



कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) जिला कोण्डागांव(छ0ग0)

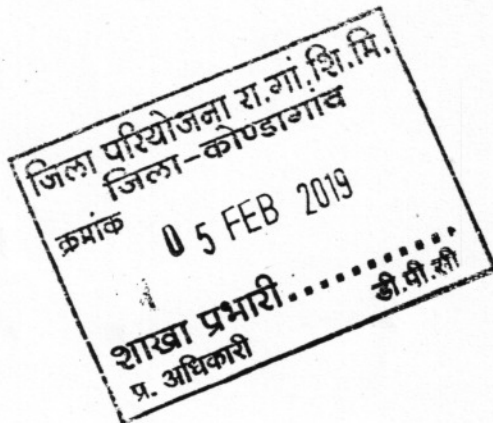
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कोण्डागांव जिले में केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु 4.000 हे0 भूमि की आवश्यकता है किन्तु कोण्डागांव में उपयुक्त व उचित स्थान पर गैर वनभूमि उपलब्ध न होने के कारण वन परिक्षेत्र दहिकोंगा के संरक्षित वन कक्ष क्र. पी-794 में 4.000 हे0 वनभूमि केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों के परिपालन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें केन्द्रीय विद्यालय हेतु गैर वनभूमि की अनुपलब्धता संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ0ग0 द्वारा चाही गई है।

उक्त संबंध में प्रमाणित किया जाता है कि कोण्डागांव में केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु उपयुक्त व उचित स्थान पर गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं है। साथ ही वनभूमि के बदले दुगूनी वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम मुलमुला प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. चिपावंड तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव स्थित भूमि खसरा नंबर 581/2 रकबा 13.000 हे0 में से 3.000 हे0 भूमि तथा ग्राम कोण्डागांव प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. कोण्डागांव तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव स्थित भूमि खसरा नंबर 98/8 , 378/7 , 381/1 में से रकबा 5.000 हे0 कुल 8.000 हे0 भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित करने संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है।

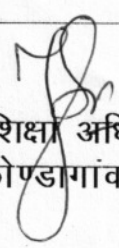
कलेक्टर

जिला कोण्डागांव (छ0ग0)



**केन्द्रीय विद्यालय हेतु 03 विकल्प के लिए चयनित क्षेत्र की
जानकारी निम्नानुसार है:-**

क्रं.	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष/खसरा T	प्रस्तावित क्षेत्र	रिमार्क
1	केन्द्रीय विद्यालय	कोण्डागांव	पी. 774	4.000 हे.	प्रस्तावित क्षेत्र घना जंगल होने के कारण अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहा है। जिसके कारण अनुपयुक्त पाया गया।
2	केन्द्रीय विद्यालय	नारंगी	पी. 797	4.000 हे.	प्रस्तावित क्षेत्र वन विकास निगम को हस्तांतरित।
3	केन्द्रीय विद्यालय	डोंगरीगुड़ा	खसरा नं 626/148	3.000 हे.	प्रस्तावित क्षेत्र में भूखण्ड कम है एवं मुख्य मार्ग से आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है, इस कारण अनुपयुक्त पाया गया।
4	केन्द्रीय विद्यालय	दहिकोंगा	पी. 794	4.000 हे.	इन्डोर एवं आउटडोर स्टेडियम नजदिक एवं एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्य मार्ग से लगा हुआ है व जिला अस्पताल भी प्रस्तावित स्थल के पास में है व वृक्ष कम होने के कारण उपयुक्त पाया गया।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-कोण्डागांव(छ0ग0)